सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

अपील सं0 230/2016

सम्पतराम पुत्र जयराम जाति गुर्जर निवासी नाहिडा तहसील महवा जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 26.10.2015
व न्यायालय नायब तहसीलदार महवा

उपस्थित :1. श्री पदमसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 16.05.2018

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार महवा ने दिनाक 26.10.2015 को ग्राम नाहिडा तहसील महवा के आराजी खसरा नम्बर 1400 रकबा 0.05 है0 किस्म भूमि सिवायचक पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एव पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि अपीलांट का पुराना कब्जा है। इसलिए जिसमें अपीलांट के पुख्ता मकान व चाह बना रखे है। इसलिए पुराने कब्जे के आधार पर भूमि नियमन की जावें। राजकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि चूँकि अपीलांट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध पेश की गई है। इसलिए इस प्रकरण पर ही विचार किया जाना है। नियमन की कार्यवाही के लिए अपीलांट वर्तमान में राजस्व लोक अदालत शिविर में अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। जिसका नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रकरण लोक अदालत की भावना से करने की इस्तदुआ की गई। राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाने में अपनी सहमति जताई। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार न्यायहित में निस्तारण जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट नियमन के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा